मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014-कार्तिक 16, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD,

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Bhopal, Dated 20th October, 2014

Guidelines for siting and use of Refrigerants by Ice Manufacturing Units in Madhya Pradesh State

No. 6750/Legal/MPPCB/2014.—The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, has passed an order in Original Application No. 104 (T_{HC}) of 2012, on September 8th , 2014 with the direction to take a final view on the opinion/recommendation of the Ministry of Environment & Forests (MoEF) and the Central Pollution Control Board (CPCB) and publish the guidelines for the grant of consent/permission to operate the Ice factories in the Madhya Pradesh State. The draft guidelines were prepared by CPCB, incorporating the opinion of Ozone Cell MoEF, and the same were communicated to the MPPCB vide letter No. PCI-SSI/ ICE Factories/NGT6 Appl. No. 104 of 2012, September 10, 2014.

It is pertinent to note that the process involved in cold storage and ice factories is not directly polluting in nature, however, this is sensitive and can prove to be hazardous in case if any mishap or accident occurs. As per the statistics the cases of accidents in the said industries are very rare in the State. It has been marked that most of the tiny ice factories are established in the commercial areas approved by the Town & Country Planning Department with layout approved by the Department of Industrial Health & Safety. The Cold Storages which make use of Ammonia as refrigerant are generally established in rural locations away from the industrial areas and in some instances Ice factories are also installed with cold storages after necessary land use diversion and permission from the competent authority. After due consideration of all above facts this guideline has been prepared for the siting and application of refrigerants by Ice manufacturing units in the Madhya Pradesh State.

Brief about Ice Manufacturing Process :

The process of Ice manufacturing involves movement of refrigerant through a network of tubes/coils

while a continuous cycle of condensation and expansion takes place. Condensation is accomplished by forcing the refrigerant through narrow tubes, while expansion is achieved by releasing the refrigerant into larger tubes.

CPCB's Classification of Ice Factories and other Allied Units :

The classification of industries into Red. Orange and Green categories by CPCB is used by SPCBs/ PCCs for statutory matters, viz. grant of Consent, inventorization of industries etc. The Ice factories and other allied units fall in the categories as mentioned below:

(i) Orange Category Industry - Chilling Plant, Cold Storage and Ice Making (Sr. No. 11)

(ii) Green Category Industry - Chilling Plant and Ice Making without use of Ammonia (Sr. No. 22)

Refrigerants and their Properties :

The most common refrigerant used in ice factories is Ammonia (Inorganic Refrigerant), however, there are other refrigerants too, viz. HFC-134a (Hydro-fluorocarbon) and R-404A (Refrigerant Azeotropic Mixtures), which are used by some industries. Ammonia, HFC-134a, R-404A and R-410A, being non-Ozone Depleting Substances, are used as substitute to CFCs and HCFCs which have ozone depletion potential in applications of refrigeration and air-conditioning.

The refrigerants are reviewed on the basis of ozone depletion potential (ODP), global warming potential (GWP), toxicity, flammability and exposure potential. The Ammonia, which is toxic in nature, is a natural refrigerant and is inexpensive as compared to HFCs. Also, the operating cost of ammonia based system is much lower as compared to other refrigerants. Technical information on ammonia can be referred as an appendix to this guideline.

The nature and characteristics of these in-use refrigerants is presented in table on the following page :

Refrigerant/Substance	ODP	GWP	Properties
Ammonia	0	0	Toxic, Non- flammable, explosive limit 15-28% vol. in air,
HFC 134a	0	1300	Non-flammable
(Tetrafluoroethane)			
R-410A	0	1725	Non- flammable
(Azeotropic mixture)			
R-404A (Azeotropic mixture)	0	3300	Non- flammable

Keeping in view the said aspects, the following guidelines shall be considered during grant of consent/ permission to the Ice factories in the Madhya Pradesh State :

The use of any of the non-ODS refrigerants in use may be left at sole discretion of the industry provided that the industry is operating in industrial area.

1. Industry using ammonia as refrigerant shall take appropriate measures with regard to its storage, handling and use in manufacturing process leaving no chance of leakage from any of these activities. As, unlike other refrigerants, ammonia is explosive (containers of ammonia may explode when exposed to high heat) as well as corrosive (to the sites of direct contact with ammonia i.e., skin,

eyes, respiratory tract, mouth, and digestive tract) in nature, the industry shall install proper leakage detection and control system in order to minimize the escape of ammonia gas to the least possible extent.

2. Industry using other refrigerants shall also take proper measures for minimizing leakage and its proper control in view of the fact that unlike ammonia these gases have high GWP and accordingly contribute to global warming. The GWP of HFC-134a, R-404A and R-410A is 1300, 3300 and 1725 respectively as compared to Ammonia which has zero GWP.

   Permission for use of CFCs and HCFCs (ODS) shall not be entertained in light of the Montreal protocol to phase-out production and consumption of ODSs ratified by India.

3. The stand-alone ice factories shall be permitted in industrial areas, commercial areas or in isolated areas with the due permission of the Town & Country Planning Department with the layout approved by the Industrial Health & Safety Department.

No such activities shall be allowed in the residential areas.

4. The Ice factories associated with the cold storages shall be considered as per the siting criteria for the cold storage and shall be examined separately on terms of merit.

5. The ice factories already operating in the residential areas shall be allowed to run with time bound action plan for shifting to the suitable areas or with switchover of technology to use of HFC-134a or any other suitable refrigerant which is not prone to the accident as a substitute for the Ammonia.

For & Behalf of
M.P. Pollution Control Board, Bhopal.
A. A. MISHRA,
Member Secretary.

(408-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती हिमॉगी मिश्रा पति श्री अमित मिश्रा, निवासी वार्ड नं. 3, ए. जी. कॉलेज रोड, पड़रा, रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा की निम्नलिखित घोषणा करती हूँ—

1. यह कि विवाह के पूर्व मेरा पूरा नाम हिमॉगी द्विवेदी पुत्री ओमप्रकाश द्विवेदी था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज में अंकित है.
2. यह कि मेरा विवाह हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 9-2-2010 को श्री अमित मिश्रा S/o श्री बद्री प्रसाद मिश्रा, निवासी ए. जी. कॉलेज रोड, पड़रा, रीवा के साथ सम्पन्न हुआ है. विवाहोपरान्त मैं अपना पूरा नाम श्रीमती हिमॉगी W/o अमित मिश्रा अंकित करती हूँ जो कि सही व सत्य है.

पुराना नाम :
(हिमॉगी द्विवेदी)
D/o ओमप्रकाश द्विवेदी.

नया नाम :
(हिमॉगी मिश्रा)
W/o अमित मिश्रा.

(400-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Tanveer Husain Zabir have changed my name from Tanveer Zabir to Tasneem Zabir by affidavit sworn before the Notary Public, Rajpur on 13/9/14. Henceforth I shall be known as Tasneem Zabir for all purposes. Tasneem Zabir, H. No. 214, Palsud Road, Rajpur, Dist. Barwani (M.P.).

Old Name :
(TANVEER ZABIR)

New Name :
(TASNEEM ZABIR)

(401-B.)

नाम परिवर्तन

इस प्रकाशन के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री शर्मीन खान पिता जाबीर हुसैन खान केन्द्रीय विद्यालय, मन्दसौर (स्कूल कोड 14015) में अध्ययनरत है. मेरी पुत्री को स्कूल में भर्ती कराते समय मेरा नाम भूलवश समीना खान लिखा गया है जिसे सुधारकर शबीना खान पढ़ा जाए और आज के बाद मेरा नाम लिखने, पढ़ने, बोलने में शबीना खान का ही उपयोग किया जाय.

पुराना नाम :

(समीना खान)

नया नाम :

(शबीना खान)
W/o जाबीर हुसैन खान,
819, अभिनन्दन कॉलोनी विस्तार क्र. 1,
मन्दसौर (म. प्र.).

(402-बी.)

नाम परिवर्तन

इस प्रकाशन के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र जमशेदखान पिता जाबीर हुसैन खान केन्द्रीय विद्यालय, मन्दसौर (स्कूल कोड 14015) में अध्ययनरत है. मेरे पुत्र को स्कूल में भर्ती कराते समय मेरा नाम भूलवश समीना खान लिखा गया है जिसे सुधारकर शबीना खान पढ़ा जावे और आज के बाद मेरा नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में शबीना खान का ही उपयोग किया जाय.

पुराना नाम :

(समीना खान)

नया नाम :

(शबीना खान)
W/o जाबीर हुसैन खान,
819, अभिनन्दन कॉलोनी विस्तार क्र. 1,
मन्दसौर (म. प्र.).

(402-A-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रिता लुधियानि था जो अब परिवर्तित होकर नया नाम रेणुका लुधियानि पति घनश्याम लुधियानि हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रिता लुधियानि)

नया नाम :

(रेणुका लुधियानि)
पति—घनश्याम लुधियानि,
पता—359-आर, खातीवाला टैंक,
इन्दौर (म. प्र.).

(403-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that I Mannam Venkateshrlu Alias Galaiya Son of Shri Kotaiya Alias Venkatadri, Resident of House No 760/3, Sarvodaya Nagar, beside Marghatai Gate, Ranital, Vivekanand Ward, Jabalpur, do hereby solemnly affirm and declare as under. I state that in my service and other record, mistakenly my name is written as Venkateshrlu, which is incorrect. Hence, I am changing the name to Mannam Venkateshrlu Alias Galaiya in service and other records.

Henceforth, from this date my Name Mannam Venkateshrlu Alias Galaiya should be read, write and recorded in my service record and all other documents in future.

Old Name :

(VEKATESHRLU)

New Name :

(MANNAM VENKATESHRLU ALIAS GALAIYA)

(404-B.)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम नृत्यांगना सिंह राव था जिसे हमने बदलकर लक्षिता सिंह राव कर दिया है. अतः आज दिनांक के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके परिवर्तित नाम लक्षिता सिंह राव से ही जाना एवं पहचाना जावे तथा यही नाम सभी स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा.

उम्मेदसिंह राव,
बी-403, सिपला रेसिडेंशल कॉम्पलेक्स,
राऊ, इन्दौर (म. प्र.).

(406-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, चमेली जैन पति जिनेन्द्र जैन, निवासी—पी-199, शिवनगर, जबलपुर, म. प्र.. मेरे बेटे अभिषेक जैन अध्ययनरत महर्षि विद्या मंदिर, नेपियर टाउन, जबलपुर, म. प्र. पेटर्न सी. बी. एस. ई. के दसवीं के सर्टिफिकेट में मेरा नाम गलती से बबली जैन अंकित है. अतः उसके सर्टिफिकेट में मेरा सही नाम चमेली जैन लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(बबली जैन)

नया नाम :

(चमेली जैन)

पी-199, शिवनगर, दमोहनाका,

जबलपुर (मध्यप्रदेश).

(407-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार मेसर्स शफीक अहमद कन्स्ट्रक्शन कंपनी, भोपाल जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 122/2001-2002, दिनांक 02-02-2002 जिसमें श्री अशफाक अहमद आ. श्री अब्दुल अजीज एवं मोहम्मद रईस आ. रहीम खां पार्टनर थे. इस फर्म के सभी सदस्यों की सहमति से दिनांक 30-09-2013 रिटायर कर दिया गया है. इस संबंध में किसी संस्था, बैंक निकाय तथा व्यक्ति उक्त साझेदारों से कोई संव्यवहार करता है तो फर्म की कोई जवाबदारी नहीं होगी तथा आदिल अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद और श्रीमती नूरजहां पत्नि श्री शफीक अहमद को उक्त साझेदारों के स्थान पर साझेदारी फर्म में उक्त दिनांक से शामिल किया गया है.

राकेश यादव,

(अधिवक्ता, टैक्स कन्सलटेन्ट)

पता—42, लखेरापुरा, इमामी गेट चौराहा,

भोपाल (मध्यप्रदेश).

(405-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित ए-79, नयापुरा, गुना में दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से फर्म का मुख्यालय ए-79, नयापुरा गुना के स्थान पर बोरसी कॉलोनी, दुर्ग (म.प्र.) में स्थानांतरित हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

दिनेश कुमार चौहान,

फर्म-राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

नयापुरा, गुना (म.प्र.).

द्वारा—**अमित सोगानी** (एडवोकेट),

सोगानी एण्ड कम्पनी,

नयापुरा, गुना (म.प्र.).

(409-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, रहली, जिला सागर

रा.प्र.क्र. /बी-113 वर्ष 2014-15. रहली, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कालूराम बल्द रामप्रसाद सेन, निवासी ग्राम रहली, तहसील रहली, जिला सागर द्वारा एक आवेदन-पत्र धारा-4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर माँ सिंहवाहिनी देवी मंदिर सेन समाज, ग्राम रहली, तहसील रहली, जिला सागर की न्यास कमेटी के गठन किए जाने बावत् प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को दिन को 11.00 बजे नियत की गई है. उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वह नियत दिनांक व समय पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

1. लोक न्यास का नाम : माँ सिंहवाहिनी देवी मंदिर समिति सेन समाज, ग्राम रहली, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश).

2.	लोक न्यास का स्वरुप उत्पत्ति एवं उद्देश्य	:	माँ सिंहवाहिनी देवी मंदिर, ग्राम रहली, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) की पूजा अर्चना उचित प्रबन्धन उन्नति.	
3.	वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्या. या कारोबार का प्रधान स्थान पारित है.	:	ग्राम रहली, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश).	
4.	कार्यवाही न्यासी और प्रबंधक का नाम उनके पते सहित	:	श्री कालूराम बल्द रामप्रसाद सेन सा. रहली, तहसील रहली, जिला सागर.	मुख्य कार्यकारी न्यासी/ अध्यक्ष.
			1. सरजूप्रसाद बल्द गोरेलाल सेन, सा. रहली, तह. रहली	उपाध्यक्ष
			2. राजकुमार बल्द बाबूलाल सेन, सा. रहली	सचिव
			3. देवकीनंदन बल्द अनंदी सेन, सा. पटनाककरी	सहसचिव
			4. संतोष कुमार बल्द परम सेन, सा. रहली	कोषाध्यक्ष
			5. प्रहलाद बल्द शालिकराम सेन, सा. रहली	संगठन मंत्री
			6. रामेश्वर बल्द शंकरलाल सेन, सा. रहली	संगठन मंत्री
5.	न्यासीपद या व्यवस्थापन पद के उत्तराधिकार की रीति.		कार्यकारी समिति के सदस्यों की बैठक में बहुमत के आधार पर चुनाव.	
6.	न्यास से समबिन्धत योजना कोई हो तो विवरण प्रक्रिया संलग्न करें.		धार्मिक उत्सव उचित रखरखाव विधिवत् पूजापाठ.	
7.	सम्पत्ति का विवरण		ग्राम रहली प. ह. नं. 20 तह. रहली स्थित में एक मंदिर माँ सिंहवाहिनी देवी जी मंदिर सेन समाज रहली, स्थापित क्षेत्र. क्षेत्र -28×31-868 वर्गफुट चबूतरा -30×28-840 वर्गफुट कमरा 2-11×18-198 वर्गफुट **योग- 1906 वर्गफुट.** एवं खाली भूमि 1202 वर्गफुट. एक मंदिर माँ सिंहवाहिनी मंदिर सेन समाज रहली, चल सम्पत्ति (1) छत्र चांदी एक (2) चॉदी 2 नग, चॉदी-एक, (3) मुकुट-एक नग.	
8.	न्यास की आय का साधन	:	चढ़ोत्री-दान	
9.	कुल वार्षिक आय	:	निरंक	
10.	न्यास की सम्पत्ति पर ऋण का भार	:	कुछ नहीं.	

उद्घोषणा आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

(844)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कालम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कालम 4 में दर्शित हैं एवं कालम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्रमांक	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	जय बजरंग कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., बेहगांव.	महेश्वर	1193/ 17-12-1998	1396/ 27-09-2006	श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
2.	महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., खरगोन.	खरगोन	34/11-11-2003 एवं संशोधित आदेश 1737/10-03-2014.	148/ 10-02-2009	श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
3.	विजयलक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., खरगोन.	खरगोन	89/28-11-2005 एवं संशोधित आदेश 1791/10-03-2014.	1476/ 24-11-2009	श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
4.	श्री विनायक साख सहकारिता मर्या., खरगोन.	खरगोन	30/09-09-2003 एवं संशोधित आदेश 1733/10-03-2014.	1737/ 28-12-2010	श्री मोहन परमार, वरि.सहकारी निरीक्षक.
5.	वीर गुर्जर साख सहकारिता मर्या., खरगोन.	खरगोन	80/14-07-2005 एवं संशोधित आदेश 1782/10-03-2014.	1677/ 25-08-2008	श्री मोहन परमार, वरि.सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(845)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कालम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कालम 4 में दर्शित हैं एवं कालम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्रमांक	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाया (बडवाह).	बडवाह	1308/ 15-01-2002	1317/ 07-10-2013	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
2.	न्यु कावेरी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सेमरला.	बडवाह	1211/ 25-02-1999	1402/ 27-09-2006	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सताजना (बडवाह).	बडवाह	1321/ 26-03-2002	1333/ 07-10-2013	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(845-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1520, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था नवदुर्गा खनिज उत्खन्न सहकारी समिति मर्या., कुशली, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1746 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नवदुर्गा खनिज उत्खन्न सहकारी समिति मर्या., कुशली, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1746 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1425, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था गौरव यातायात सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 926 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर

धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था गौरव यातायात सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 926 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1669, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था मेखला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1049 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. पी. विश्वकर्मा, उप.-अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मेखला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1049 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1722, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था पं. दीनदयाल प्राथ. उप. भण्डार मर्या., सिहोरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 939 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. चौधरी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था पं. दीनदयाल प्राथ. उप. सह भण्डार मर्या., सिहोरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 939 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1521, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था स्वामी जी महाराज खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., घुघरी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1745 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था स्वामी जी महाराज खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., घुघरी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1745 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1533, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था भारत माइंस एवं मिनरल्स मजदूर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1569 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री दिलीप श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था भारत माइंस एवं मिनरल्स मजदूर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1569 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1612, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जागृति महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1650 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जागृति महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1650 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1615, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा वैष्णव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1666 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था वैष्णव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1666 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1614, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था इंदिरा गांधी महिला वेलफेयर प्राथ. उप. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1661 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था इंदिरा गांधी महिला वेलफेयर प्राथ. उप. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1661 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1538, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शिव ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., कटंगी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1842 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री दिलीप श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शिव ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., कटंगी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1842 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(846-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1541, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था अमृत मंथन खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1383 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री दिलीप श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था अमृत मंथन खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1383 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आरती पटेल,
सहायक आयुक्त.

(846-J)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/855.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/381, रतलाम, दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, मऊ, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/267, दिनांक 25 मई, 1981 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, मऊ, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/856.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/376, रतलाम, दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुडरखेडा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/333, दिनांक 27 फरवरी, 1984 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुडरखेडा, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847-A)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/857.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/374, रतलाम, दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, हनुमन्तिया, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, हनुमन्तिया, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847-B)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/859.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/379, रतलाम, दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, दन्तोडिया, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/262, दिनांक 28 मई, 1981 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, दन्तोडिया, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847-C)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/860.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/678, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, भूतिया, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/628, दिनांक 30 जून, 1994 का परिसमापन किये जाने हेतु

श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, भूतिया, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847-D)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/861.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/688, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, कोठडी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/514, दिनांक 20 अप्रैल, 1989 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. एस. पॅवार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, कोठडी, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847-E)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/862.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/657, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, उमर, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/631, दिनांक 30 जून, 1994 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, उमर, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(847-F)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/865.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/671, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, लसुडिया सुरजमल, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/848, दिनांक 09 अगस्त, 2007 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. एस. पँवार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, लसुडिया सुरजमल, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(847-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1994/311, दिनांक 07 फरवरी, 1994 से प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./357, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./357, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(848)

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/634, दिनांक 25 मई, 2007 से मर्सरत अफजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./621, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा मर्सरत अफजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मर्सरत अफजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./621, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(848-A)

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/1113, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 से शान्ती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./619, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा शान्ती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शान्ती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./619, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(848-B)

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/627, दिनांक 25 मई, 2007 से वन देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हन, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./598, दिनांक 10 जनवरी, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा वन देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हन, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वन देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हन, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./598, दिनांक 10 जनवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(848-C)

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/378, दिनांक 22 मार्च, 2006 से हरिजन आदिवासी कामगार तथा कारीगारों की सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरिया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./506, दिनांक 30 सितम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा हरिजन आदिवासी कामगार तथा कारीगारों की सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरिया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन आदिवासी कामगार तथा कारीगारों की सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरिया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./506, दिनांक 30 सितम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(848-D)

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त, 2014

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/391, दिनांक 27 मार्च, 2006 से आदर्श कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, इकोदा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./534, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा आदर्श कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, इकोदा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, इकोदा तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./534, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(848-E)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1335, धार, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 814, दिनांक 25 मई, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध संयंत्र रतलाम ने पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2014 में संस्था को वर्षों से बंद दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(849)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1330, धार, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीलीखेडी, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 19 मार्च, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध संयंत्र रतलाम ने पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2014 में संस्था को वर्षों से बंद दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीलीखेडी, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(849-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1334, धार, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियाबडा, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 25 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बंद दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियाबडा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(849-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1333, धार, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चालनी, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 22 अक्टूबर, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बंद दर्शाकर पुनः प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चालनी, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(849-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1331, धार, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरछा, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर क्षेत्र धार ने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2014 में संस्था को वर्षों से बंद दर्शाकर पुन: प्रारम्भ की संभावना नहीं होने से परिसमापन की कार्यवाही की अनुसंशा की है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरछा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(849-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कनाल,
तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 28 अप्रैल, 1982)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि, आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित

कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कड़ोदकला,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 01 मई, 2004)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 814, दिनांक 25 मई, 1992)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण

प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-B)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरिया बड़ा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 25 जून, 2002)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चालनी,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 22 अक्टूबर, 1984)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडिया,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 442, दिनांक 01 जनवरी, 1982)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-E)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरछा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि, आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीलीखेड़ी,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 19 मार्च, 1982)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 23 सितम्बर, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(850-G)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014-कार्तिक 16, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 जुलाई, 2014

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), डबरा (ग्वालियर), सेवढ़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), गुना, बमोरी, कुंभराज (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, राजनगर, विजावर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), अनूपपुर (अनूपपुर), भानपुरा (मंदसौर), शुजालपुर (शाजापुर), मेघनगर, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), जोबट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, च. शेखर. आ. नगर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), गैरतगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), मुल्ताई (बैतूल), सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), सीहोरा, जबलपुर, कुन्डम (जबलपुर), ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला) डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, तामिया, सोंसर, पांदुर्णा, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, कुरई, छपारा (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), नरवर (शिवपुरी), ओरछा (टीकमगढ़), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), जेतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गुलाना (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), बुरहानपुर (बुरहानपुर) ग्यारसपुर (विदिशा), नसरूल्लागंज (सीहोर), बेगमगंज (रायसेन), घोडाडोंगरी, आठनेर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, बावई, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), रीठी, बहोरीबंद, (कटनी), शाहपुरा (डिण्डोरी), सिवनी, बरघाट, घंसोर, घनोरा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील करैरा, बदरवास (शिवपुरी), लवकुशनगर, छतरपुर (छतरपुर) पवई (पन्ना), मालथोन (सागर), गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), हुजूर (भोपाल), आष्टा, इच्छावर, सीहोर (सीहोर), शाहपुर, चिचोली, बैतूल (बैतूल), इटारसी, सोहागपुर, वनखेड़ी (होशंगाबाद), विजयराघवगढ़, बड़वारा (कटनी), अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी) बीना, खुरई, बंडा, सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर) त्योंथर, सिरमोर, मऊगंज, हनुमना, हजूर (रीवा), पाली, भानपुर (उमरिया) खकनार (बुरहानपुर), बुधनी (सीहोर), बाड़ी (रायसेन), भैंसदेही (बैतूल), कटनी, बरही (कटनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, खरगौन, बड़वानी, सीहोर, हरदा, जबलपुर, कटनी, मण्डला, छिन्दवाड़ा, सिवनी में जुताई व सीहोर में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में फसल धान, उड़द, तिली, तुअर व सागर, दमोह, सतना, रीवा, उमरिया, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, हरदा, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.— . .

5. कटाई.— . .

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, सतना, अनूपपुर, नीमच, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09 जुलाई, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	12.0				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	18.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	16.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	6.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	4.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	73.0		4. (1) गेहूँ, गन्ना, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	128.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	119.0				
4. नरवर	20.0				
5. करैरा	37.0				
6. कोलारस	66.0				
7. पोहरी	64.0				
8. बदरवास	53.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	8.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	9.0				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	2.0				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	11.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	13.0				
4. टीकमगढ़	10.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	23.0				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लवकुशनगर	23.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	6.0				
4. छतरपुर	24.0				
5. राजनगर	11.7				
6. बिजावर	7.0				
7. बड़ामलहरा	15.4				
8. बकस्वाहा	14.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	23.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	19.0		उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,		
4. पवई	43.0		मसूर, मटर, आलू, प्याज.		
5. शाहनगर	12.0		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	106.2	चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	58.6		उड़द, मूंग,अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	78.2		सोयाबीन कम.		
4. सागर	209.7		(2) . .		
5. रेहली	57.8				
6. देवरी	212.0				
7. गढ़ाकोटा	96.2				
8. राहतगढ़	60.4				
9. केसली	156.0				
10. मालथोन	44.0				
11. शाहगढ़	165.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	58.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी, कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	78.8		(2) ..		
3. मऊगंज	85.8				
4. हनुमना	85.9				
5. हजूर	72.8				
6. गुढ़	39.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	52.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	20.3		4. (1) धान, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	16.5		(2) ..		
3. कोतमा	24.9				
4. पुष्पराजगढ़	32.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	18.9		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	62.0		(2) ..		
3. मानपुर	67.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला सीधी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, धान, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	4.2		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	0.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	0.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	7.0				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	27.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. वागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	15.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	3.6				
5. राणापुर	15.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. अलीराजपुर	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	5.0				
4. सोण्डवा	27.0				
5. च.शे.आ. नगर	13.0				
6. उदयगढ़	2.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		राई-सरसों.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	29.3	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	60.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	14.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	5.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	16.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	11.8				
4. बासौदा	17.0				
5. नटेरन	10.0				
6. विदिशा	11.0				
7. गुलाबगंज	12.0				
8. ग्यारसपुर	19.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	42.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	37.6	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	42.0		(2) . .	. .	
3. इछावर	39.0				
4. नसरुल्लागंज	25.4				
5. बुधनी	54.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	13.2		अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	28.0		मूंगफली.		
4. गोहरगंज	11.0		(2) . .		
5. बरेली	2.0				
6. सिलवानी	11.5				
7. बाड़ी	82.0				
8. उदयपुरा	17.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	75.6		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	19.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	36.6				
4. चिचोली	50.4				
5. बैतूल	41.7				
6. मुलताई	10.0				
7. आठनेर	21.2				
8. आमला	20.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	13.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	22.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	18.0				
4. इटारसी	44.8				
5. सोहागपुर	52.0				
6. पिपरिया	29.6				
7. वनखेड़ी	35.4				
8. पचमढ़ी	26.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	4.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	5.0				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	5.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	66.8	चालू है.	4. (1) धान, तिल, मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	26.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	52.0				
4. बहोरीबंद	31.8				
5. ढीमरखेड़ा	9.0				
6. बड़वारा	39.0				
7. बरही	59.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	7.4	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	6.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	4.0				
4. मण्डला	5.4				
5. घुघरी	16.6				
6. नारायणगंज	1.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. धान, उड़द, तिली एवं	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	2.0	तुअर की बोनी का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	15.0	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	21.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	2.6	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	5.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	8.0				
5. सोंसर	6.0				
6. पांढुर्णा	14.8				
7. अमरवाड़ा	48.4				
8. चौरई	8.4				
9. बिछुआ	6.4				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	23.8	चालू है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	1.0		मूँगफली, सोयाबीन, तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	15.2		(2) . .		
4. बरघाट	33.9				
5. कुरई	6.0				
6. घंसौर	23.0				
7. घनोरा	19.4				
8. छपारा	14.1				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	26.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	41.0				
4. वारासिवनी	22.9				
5. कटंगी	69.7				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, शहडोल, सीधी, आगर, देवास, खण्डवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(842)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.